**उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के कार्यों के संचालन के लिए तकनीकी/लेखा कार्य में अनुभवी एवं भिज्ञ अधिकारियों को संविदा के आधार पर तैनात किये जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन।**

| क्र0 सं0 | पदनाम | अर्हता | रिक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | कन्सलटेन्ट | अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के स्तर के पद से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी | 02 |
| 2 | वरिष्ठ कन्सलटेन्ट | अधीक्षण अभियन्ता पद से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी | 02 |
| 3 | मुख्य कन्सलटेन्ट | मुख्य अभियन्ता पद से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी | 02 |

(2) उपरोक्त रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन करने वाले उ0प्र0 जल निगम से सेवानिवृत्त अधिकारियों में से ऐसे उत्कृष्ट/स्वस्थ अधिकारियों को तैनात किये जाने पर विचार किया जायेगा जो सेवाकाल में किसी वित्तीय/अनुशासनिक अनियमितता में दोषी न रहे हो तथा उनके विरुद्ध वर्तमान में अनुशासनिक/सर्तकता जांच प्रचलित न हो । इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त की तिथि के पूर्व की 10 वर्षों में से कम से कम 05 वर्ष की उनकी सेवायें अति उत्तम श्रेणी से न्यून न हों तथा उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हों।

(3) संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने वाले अधिकारियों के लिए मानदेय/संविदा धनराशि निम्नानुसार देय होगी :-

| क्र0सं0 | पदनाम | मानदेय/संविदा की धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | कन्सलटेन्ट | रू0 60000/- प्रतिमाह |
| 2 | वरिष्ठ कन्सलटेन्ट | रू0 75000/- प्रतिमाह |
| 3 | मुख्य कन्सलटेन्ट | रू0 90000/- प्रतिमाह |

(4) उक्त तैनात किये जाने वाले अधिकारियों को उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित संविदा धनराशि के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

(5) उक्त संविदा धनराशि का भुगतान आयकर की धारा-194 जे के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) संविदा पर तैनात अधिकारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष अवकाश देय होगा। इन अधिकारियों को अन्य कोई अवकाश यथा आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश आदि देय नहीं होगा।

(7) संविदा पर तैनात उक्त अधिकारियों द्वारा जल निगम (नगरीय) के कार्यों से की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में वही नियम लागू होगें जो जल निगम (नगरीय) के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए प्रभावी है तथा उसकी प्रतिपूर्ति सेवानिवृत्त के समय धारित पद की समकक्षता के अनुरूप की जायेगी।

(8) उक्त रिक्तियों के सापेक्ष प्रथम नियुक्ति छः माह की अवधि के लिए (यदि इसे पूर्व में समाप्त न कर दिया जाय) की जायेगी जिसे उनकी कार्य क्षमता एवं कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(9) उपरोक्त रिक्तियों के सापेक्ष कार्य करने के इच्छुक उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) अथवा पूर्ववर्ती जल निगम से सेवानिवृत्त अधिकारी जो उपर्युक्त अर्हता को पूर्ण करते है, दिनांक 15.04.2022 तक अपना आवेदन पत्र सचिव (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को डाक/व्यक्तिगत रूप से/ई–मेल (dsaupjn@gmail.com) के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पत्र में ईमेल पता एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से इंगित किया जायेगा।

सही पाये गये आवेदन पत्र के आवेदनकर्ता को उनके आवेदन पत्र में उल्लिखित ईमेल पता एवं मोबाईल नम्बर पर इस हेतु निर्धारित साक्षात्कार के लिए सूचित किया जायेगा।

(10) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को उपरोक्त रिक्तियों के सापेक्ष तैनात किया जायेगा।

(11) कन्सलटेन्ट, वरिष्ठ कन्सलटेन्ट एवं मुख्य कन्सलटेन्ट पदों के कर्तव्य एवं दायित्व के निर्धारण हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देश नियुक्ति पत्र के साथ निर्गत किये जायेगें।